



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-64/2022

दिनांक : 09.05.2022

कार्यालयादेश

वर्धा में बढ़ती गर्मी एवं उसका विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पड़ते दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठों/विभागों की सभी कक्षायें सम्मिश्र पद्धति से आयोजित की जायेगी। छात्रावास में रहते हुए ऑनलाइन कक्षा की अनुमति नहीं होगी।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
09/05/22

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. परीक्षा विभाग (आवश्यक कार्रवाई हेतु)
4. वित्त विभाग
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली